

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 109/2021

रामधनी बाई पुत्री लाला पत्नि कालूलाल जाति कहार निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल  
हाल निवास काछियान तहसील के.पाटन जिला बून्दी

.....वादनी

**बनाम**

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादी

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0**

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील वादनी : श्री दयाकृष्ण धाकड

दायरा दिनांक: 14.09.2021


निर्णय दिनांक : 12.11.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादनी के शामालाती खाते की आराजी खाता संख्या 107 खसरा नं0 123/5695 रकबा 0.32 है0, खसरा नं0 243 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 244 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 245 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 246 रकबा 0.24 है0, खसरा नं0 254 रकबा 0.41 है0, खसरा नं0 264 रकबा 0.20 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.69 है0 वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादनी का नाम धन्नी पुत्री लाला दर्ज हो रहा है। जबकि वादनी का वास्तविक नाम रामधनी बाई पुत्री लाला है। जिसको वादनी धन्नी पुत्री लाला के स्थान पर रामधनी बाई पुत्री लाला दुरुस्त करवाने की कानूनी अधिकारी है। वादनी का नाम अन्य दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि में रामधनी बाई पुत्री लाला दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में धन्नी पुत्री लाला के स्थान पर रामधनी बाई पुत्री लाला दर्ज करवाने की घोषणा करवाने की अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादनी का नाम धन्नी पुत्री लाला के स्थान पर रामधनी बाई पुत्री लाला दुरुस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 14.09.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2022/1305 दिनांक 17.08.2022 के अनुसार धन्नी पुत्री लाला व रामधनी बाई पुत्री लाला दोनो नाम एक ही महिला के नाम है अन्य अलग-अलग नहीं है। अतः राजस्व रेकार्ड में वादनी का सही नाम धन्नी उर्फ रामधनी पुत्री लाला सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाह वादनी स्वयं एवं फूला पुत्री लाला जाति कहार निवासी सीसवाली के आधार पर आराजी खाता संख्या 107 खसरा नं0 123/5695 रकबा 0.32 है0, खसरा नं0 243 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 244 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 245 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 246 रकबा 0.24 है0, खसरा नं0 254 रकबा 0.41 है0, खसरा नं0 264 रकबा 0.20 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.69 है0 वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादनी का नाम धन्नी पुत्री लाला के स्थान पर धन्नी उर्फ रामधनी बाई पुत्री लाला दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, एवं इसके साथ-साथ यदि वादनी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय में जैरकार हो उसके लिए वादनी स्वयं जिम्मेवार होंगी। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को खुले न्यायालय में मजमेआम सुनाया गया।

  
(रजत कुमार विजयवर्गीय)  
उपखण्ड अधिकारी